उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।
(जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़)
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) संविदा सृजित पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना

विज्ञापन सूचना–01/2023

ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 4729 दिनांक 04.06.2007, नियुक्ति सेवाशर्त, कर्तव्य नियमावली (संशोधित नियमावली 2012) के संकल्प संख्या 6440 दिनांक 17.07.2012 एवं पत्रांक (N)848 दिनांक 21.03.2017 एवं मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रांची का पत्रांक–972 दिनांक–13.07.2023 से निर्गत तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1617 दिनांक 17.03.2023 एवं संकल्प संख्या ज्ञापांक 3198 दिनांक 18.04.2016 में निहित स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान के अनुरूप तथा **(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या–2020 दिनांक 09.04.2010 एवं यथा संशोधित ज्ञापांक 1617 दिनांक 17.03.2023 के आलोक में)** जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़ के अधीन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)–2005 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रिक्त पदों पर सीधी (प्रत्यक्ष) पूर्णतः संविदा आधारित निम्नांकित शर्तों के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जाते है। जिसकी रिक्त पदों की विस्तृत विवरणी निम्न है :–

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या						कुल रिक्ति	निःशक्तता के अनुमान्य प्रवर्ग
		अनारक्षित	अनु0ज0जाति	अनु0जाति	अत्य0पि0व0	पि0व0	आ0क0 वर्ग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	3	2	0	1	0	0	6	–
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	3	2	0	1	0	0	6	–
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	7	2	3	2	2	2	18	–
4	लेखा सहायक	1	1	0	1	0	0	3	–
5	कम्प्यूटर सहायक	3	1	1	1	0	0	6	–

नोट–1. कोटिवार रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है।
2. नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत (रामगढ़ जिला हेतु) आरक्षण नीति ही मान्य होगी।

I. आवेदक के द्वारा दिनांक 16.10.2023 के अपराह्न 05.00 बजे तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से उप विकास आयुक्त–सह–अतिरिक्त जिला समन्वयक, रामगढ़ के पदनाम पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़ के कार्यालय में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्य माध्यम से समर्पित आवेदन पत्र एवं निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन हेतु लिफाफा के उपर आवेदित पद का नाम आवश्य लिखे।

II. आवेदन–पत्र का प्रारूप एवं रिक्त पदों के लिए वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी रामगढ़ जिले के वेबसाईट **www.ramgarh.nic.in** पर तथा उप विकास आयुक्त–सह–अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, रामगढ़ के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

ह0/–
उपायुक्त,
–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
रामगढ़।

ज्ञापांक 1244 / अभि0 रामगढ़, दिनांक 23.9.2023

प्रतिलिपिः– 1. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं निदेश है कि आम सूचना को रामगढ़ जिले के वेबसाईट www.ramgarh.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे

2. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं निदेश है कि स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करेंगे

3. मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Chandan 23/09/23

उपायुक्त,
–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
रामगढ़।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़)

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) संविदा सृजित पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना

विज्ञापन सूचना–01/2023

ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 4729 दिनांक 04.06.2007, नियुक्ति सेवाशर्त, कर्तव्य नियमावली (संशोधित नियमावली 2012) के संकल्प संख्या 6440 दिनांक 17.07.2012 एवं पत्रांक (N) 848 दिनांक 21.03.2017 से निर्गत तथा **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या–2020 दिनांक 09.04.2010 एवं यथा संशोधित ज्ञापांक 1617 दिनांक 17.03.2023 के आलोक में** जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़ के अधीन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)–2005 के अन्तर्गत **प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक** के रिक्त पदों पर सीधी (प्रत्यक्ष) पूर्णतया संविदा के आधारित नियुक्ति निम्नाकित शर्तों के आधार पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

रिक्त पदों की विस्तृत विवरणी निम्नवत है:–

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या						कुल रिक्ति	निःशक्तता के अनुमान्य प्रवर्ग
		अनारक्षित	अनु0ज0जाति	अनु0जाति	अत्य0पि0व0	पि0व0	आ0क0 वर्ग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	3	2	0	1	0	0	6	—
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	3	2	0	1	0	0	6	—
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	7	2	3	2	2	2	18	—
4	लेखा सहायक	1	1	0	1	0	0	3	—
5	कम्प्यूटर सहायक	3	1	1	1	0	0	6	—

नोट–1. कोटिवार रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है।
2. नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत (रामगढ़ जिला हेतु) आरक्षण नीति ही मान्य होगी।

I. आवेदन–पत्र का प्रारूप एवं रिक्त पदों के लिए वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी रामगढ़ जिले के वेबसाईट **www.ramgarh.nic.in** पर तथा उप विकास आयुक्त–सह–अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, रामगढ़ के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

II. **आरक्षणः– ऑफलाईन आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करनें पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।**

(क) **आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थायी निवास प्रमाण पत्र** (आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 एवं पत्रांक 5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे)।

(ख)अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग (अनुसूची II)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची I)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/खेल कूद के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.

02.2019 एवं पत्रांक 156 दिनांक 06.01.2017 द्वारा तत्समय प्रवृत निर्धारित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ग) निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

III. शैक्षणिक योग्यताः—

1. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएंः—

(i) **अनिवार्य योग्यता :—** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उतीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उर्तीण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम हैं परन्तु वे स्नातकोत्तर उतीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेगें। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(II) ***अतिरिक्त योग्यता :—*** **(क)** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम०बी०ए०/पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०बी०एम०/पी०जी०डी०आर०डी०, बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर/ बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए०/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम०बी०ए० एवं पी०जी०डी०बी०एम०/ पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०आर०डी० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०बी०एम०/पी०जी०डी०आर०डी० के प्राप्तांक प्रतिशत में 05 घटाकर एम०बी०ए० के कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर को बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेगें तथा बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोडा जायेगा।

(ख) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को सामान्य योग्यताएँ समझा जायेगा तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मुल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोडे जायेगें। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० या बी०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस या बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

2. तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएंः—

(ii) **अनिवार्य योग्यता :—** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी

(II) ***अतिरिक्त योग्यता :—*** (क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0/ एम0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(ख) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

3. **तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएंः–**

(i) **अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।

नोटः–विभागीय पत्रांक 1187/ग्रा0वि0 दिनांक 01.03.2013 के आलोक में उच्चतर योग्यताधारी अभ्यर्थी यथा सिविल संकाय में बी0 टेक/बी0ई0 उत्तीर्ण भी आवेदन समर्पित कर सकते है।

(II) ***अतिरिक्त योग्यता :–*** (क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0/बी0ई0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी

(ख) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

(ग) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को सामान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

4. **लेखा सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएंः–**

(i) **अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0कॉम ऑनर्स या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात एम0कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी0कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी0कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(II) ***अतिरिक्त योग्यता :–*** (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0कॉम, बी0सी0ए0तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।

(ख) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरुप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रुप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

5. **कम्प्युटर सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएंः–**

(a) **अनिवार्य योग्यता :–** (क)सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगें।

1. बी0एस0सी कम्प्यूटर ऑनर्स,
2. बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य,
3. बी0सी0ए0,
4. सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण।

(ख) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होने तत्पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(II) *अतिरिक्त योग्यता* :– (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी।
(ख) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरुप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रुप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 / सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

नोटः– आदेदित पदों हेतु अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय / संस्थान की UGC / AICTE / DBE से मान्यता संबंधित कागजात / मार्कशिट को आवेदन के साथ क्रमबद्ध रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में CGPA / DGPA स्कोर कार्ड के अनरूप मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे उन्हें अपने संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान से ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रतिशत में अंतरण नहीं कराये जाने पर संबंधित संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अंक की गणना नहीं की जाएगी।

IV. उपरोक्त सभी पदों में वर्णित सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ ही मान्य होगी।

V. आयु सीमा–दिनांक 1.1.2023 **तक न्यूनतम 18 वर्ष** एवं अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी :–

क्र0	वर्ग	**अधिकतम आयु सीमा**
1	अनारक्षित वर्ग (पुरूष)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आ0क0वर्ग) (पुरूष)	35 वर्ष
2	पिछड़ा / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष)	37 वर्ष
3	महिला– (अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS)	38 वर्ष
4	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष / महिला)	40 वर्ष

VI. आरक्षण –(आ0क0वर्ग) / अनु०जाति / अनुसूचित जनजाति / निःशक्तता वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों (रामगढ़ जिला के लिए प्रभावी) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

VII. राष्ट्रीयताः–आवेदक भारत का नागरिक हो।

VIII. परिलब्धिः–विभागीय पत्रांक 1028(N) / ग्रा0वि0 राँची, दिनांक 04.08.2022 के आलोक में विभिन्न पदों की परिलब्धियाँ निम्नवत होगीः–

क्र0	पदनाम	Monthly Honorarium (In Rs.) for Less than 5 years Experience	Monthly Honorarium (In Rs.) for 5 years of more Experience
1	2	3	4
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	23140.00	23700.00
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	22000.00	22500.00
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	19000.00	19500.00
4	लेखा सहायक	14300.00	14800.00
5	कम्प्यूटर सहायक	14300.00	14800.00

IX. नियुक्ति के नियम एवं शर्तेः–

(क)उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख) उपर्युक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता स्कोर के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं तकनीकी ज्ञान हेतु आवश्यकतानुसार लिखित एवं दक्षता परीक्षा ली जा सकती है। जिला चयन समिति रामगढ़ द्वारा मेधा सूची को अनुमोदित किया जाएगा।

(ग) तैयार प्रारंभिक मेधा सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के अंदर आवेदक त्रुटि निराकरण हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, रामगढ़ में उप विकास आयुक्त–सह–अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के पदनाम से आवेदन दे सकते है। तत्पश्चात अंतिम मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसके उपरांत किसी आवेदक का त्रुटि हेतु आवेदन/दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व एक पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिए गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। सभी आवेदक उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(च) उपर्युक्त सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन रामगढ़ जिला के किसी भी प्रखण्ड/पंचायत में करने के लिए उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, रामगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(छ) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसे नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो, तो उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

(ज) **उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के लिए किसी एक जिला के अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हें इस आशय का शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) समर्पित करना अनिवार्य होगा कि (1) झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। (2) संलग्न किए सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताएं से संबंधित प्रमाण पत्र सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत है। उनके द्वारा समर्पित शपथ पत्र/कोई सूचना यदि कभी भी असत्य पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगा। साथ ही इसके लिए उसके विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।**

(झ) **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, रामगढ़ के आम सूचना** 1177/अभि0 दिनांक 06.09.2023 के द्वारा पूर्व में मनरेगा अन्तर्गत विभिन्न पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या (PR Number-

254373 2021-22 D) को द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अतः पूर्व में आवेदन समर्पित किए सभी अभ्यर्थी यदि इच्छुक हैं तो उन्हें पुनः इस वर्तमान प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध आवेदन समर्पित करना आवश्यक होगा।

X. सामान्य निर्देश :–

1. **सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 5994 दिनांक 18.08.2009 द्वारा उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसकी वैधता दो वर्षों की रहेगी।**
2. **आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति–आवासीय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (अनुमान्य होने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।**
3. **आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आयु सीमा की गणना मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर होगी।**
4. **अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की UGC/AICTE/DEB से संबंधित कागजात/ऑनलाईन की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।**
5. जिन अभ्यर्थियों का **शैक्षणिक प्रमाण पत्र में Grade अंकित हो तो वे अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।**
6. **विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।**
7. **किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति में निहित होगी।**
8. **उल्लेखित सभी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में समर्पित अभ्यावेदन अमान्य मानकर निरस्त कर दिया जायेगा। एवं इस हेतु किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।**

XI. आवेदन कैसे जमा करें :–

(क) आवेदक पत्र दिनांक–16.10.2023 के अपराहन 05:00 बजे तक **उप विकास आयुक्त–सह–अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, रामगढ़ के पदनाम पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़ के कार्यालय** में केवल **निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट** के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। अन्य माध्यम से समर्पित आवेदन एवं निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन हेतु **लिफाफा के उपर आवेदित पद का नाम आवश्य लिखे।**

(ख) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते है। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

(ग) नियुक्ति से संबंधित सूचना समय–समय पर दैनिक समाचार पत्र एवं जिले के वेबसाईट **www.ramgarh.nic.in** के माध्यम से दी जायेगी।

Chandan 23/09/23

उपायुक्त,
–सह–जिला कार्यक्रम
समन्वयक, रामगढ़।